"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 571] रायपुर, शनिवार, दिनांक 30 दिसम्बर 2017—— पौष 9, शक 1939

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 30 दिसम्बर 2017

आदेश

क्रमांक 12443/2259/PS Law/21-ब/छ. ग./2017 . — राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री नारायण सिंह ठाकुर, अधिवक्ता को शासन की ओर से पैरवी करने के लिए श्री भूपेन्द्र राठौड़, शासकीय अभिभाषक एवं लोक अभियोजक, महासमुंद के स्थान पर शासकीय अभिभाषक, महासमुंद, जिला महासमुंद तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 02 सन् 1974) की धारा-24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये शासन की ओर से पैरवी करने के लिए लोक अभियोजक, महासमुंद, जिला महासमुंद के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 01 वर्ष की परिवीक्षा पर (या 62 वर्ष जो भी पहले हो) नियुक्त करता है. किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

उन्हें शासन द्वारा निर्धारित एवं समय-समय पर संशोधित रिटेनर फीस एवं अन्य फीस देय होगी. उनकी सेवा की अन्य शर्तें छ. ग. शासन, विधि विभाग मैन्युअल में निर्धारित अनुसार होगी.

उक्त संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29 - 2014 - न्याय प्रशासन, 114 - कानूनी सलाहकार और परिषद्, 3572 - मुफस्सिल स्थापना, 10 - व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां, 008 - शासकीय अभिभाषकों को फीस मद के अन्तर्गत प्रभारित किया जावेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कुमार होता, अतिरिक्त सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2017.